I/85814/2021

संख्या-85814 /12-5099/11/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग -5 लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषयः पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर परियोजना प्रबन्ध इकाई (पी0एम0यू0) के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2.5 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में राज्य एंव जनपद स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यवाही सम्पादित होती है-

(i) ओपेन सोर्स के नये आवेदन पत्रों का तहसील/कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों के विवरण को आनलाइन मुख्यालय को अग्रसारित करना।

(ii) पी0एम0 किसान पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों का गुणात्मक रूप से निस्तारण कराना।

(iii) प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा रेण्डम आधार पर चिन्हित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना। भौतिक सत्यापन में अपात्र पाए गये लाभार्थियों से वसूली करते हुए, वसूल की गयी धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जाना व डाटा बेस को अद्यावधिक किया जाना।

(iv) मृतक किसानों के आगामी किस्तों को रोकते हुए उन्हें पात्रता सूची से हटाया जाना।

(v) आधार इन्वालिड तथा नाम मिस्मैच के प्रकरण का शीघ्रता से सत्यापन करते हुए निस्तारण किया जाना।

(vi) विभिन्न अन्य कारणों से अवरुद्ध प्रकरणों का समाधान कराकर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाना।

(vii) प्रशासनिक व्यय का समुचित सदुपयोग योजना हित में किया जाना तथा उसके अभिलेखों का रखरखाव किया जाना।

(viii) पी0एम0 किसान के लाभार्थियों के सम्बन्धित अभिलेखों को स्कैन कर के डिजिटाइज कराया जाना।

2. यह आवश्यक है कि उपरोक्त गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राज्य स्तर पर पी0एम0यू0 गठित हो। यद्यपि शासनादेश सं0-922/12-5-2020-सा0-24/2020 दिनांक 17-08-2020 के द्वारा मुख्यालय स्तर पर आई.टी. कार्मिकों की सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनाती कर

विभागीय आई.टी. अधिकारी के पर्यवेक्षण में पी0एम0यू0 का गठन करने तथा तकनीकी रूप से सक्षम मानव सम्पदा बढ़ाने के भी निर्देश है। परन्तु आई.टी. कार्मिकों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि कृषि विभाग के समुचित नियमित अधिकारी व कर्मी भी इस व्यवस्था का संचालन तथा पर्यवेक्षण अनिवार्य रूप से करें जिससे पी0एम0यू0 उत्तरदायी रूप से कार्य कर सके।

3. तत्क्रम में राज्य स्तर पर निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की जायः-

(i) अपर निदेशक स्तर के अधिकारी को पी0एम0 किसान योजना का प्रभारी बनाया जायेगा। निदेशक (कृषि) स्टेट नोडल ऑफीसर के रूप में कार्य करेंगे एवं वित्त नियंत्रक भी पूर्व की भांति अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे, परन्तु परियोजना अधिकारी निदेशक कृषि के अधीन नियमित कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अपर निदेशक के अधीन एक उप निदेशक/श्रेणी-2 के स्तर के अधिकारी को भी पी0एम0यू0 में पूर्णकालिक रूप से सम्बद्ध किया जाये, जो अपर निदेशक के अधीन रहते हुए कार्य करेंगे।

(iii) पी0एम0यू0 की सहायता हेतु पूर्णकालिक लिपिकों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाये जो पत्रावली के रखरखाव व अन्य दायित्वों का निर्वाह करेंगे।

(iv) सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त स्टाफ तद्नुसार परियोजना अधिकारी के अधीन रह कर कार्य करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व प्रस्तर में दिये गये समस्त दायित्वों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित हो।

4. **जनपद स्तर पर परियोजना प्रबन्ध इकाई की स्थापना निम्नवत होगीः-**

(i) जनपद स्तर पर पूर्व की भांति उप निदेशक कृषि, योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति योजना के अनुश्रवण, वित्तीय प्रबन्धन तथा शिकायतों के निस्तारण एवं पूर्व प्रस्तर में दिये गये समस्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(iii) उप कृषि निदेशक की सहायता हेतु उप सम्भागीय स्तर का एक अधिकारी पूर्ण रूप से जनपद मुख्यालय पर सम्बद्ध रह कर कार्य करेंगे और पी0एम0 किसान से सम्बन्धित समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(iv) उप कृषि निदेशक के द्वारा जनपद के आकार के आधार पर 2 से लेकर 4 तकनीकी सहायकों को भी इस कार्य के हेतु आबद्ध किया जाएगा जिनका क्षेत्र आवंटित करते हुए जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्य को संचालित कराया जाएगा। उचित होगा कि कम्प्यूटर का सम्यक ज्ञान रखने वाले युवा अधिकारियों को इस कार्य हेतु तैनात किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार मुख्यालय व जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

I/85814/2021

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2-समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Signed by विद्या शंकर सिंह
Date: 04-08-2021 17:28:55
Reason: Approved

(विद्याशंकर सिंह)
विशेष सचिव।